न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़ आर ए एस

राजस्व अपील/223/रा.का.अधि./66/2017/बाड़मेर

अपीलांट		रेस्पोडेंटगण
1. सदाम गौद पुत्र सदीक उर्फ सहीद जाति कोटवाल निवासी बिशाला तहसील व जिला बाड़मेर।	बनाम	1.चांद मोहम्मद पुत्र फकीर मोहम्मद 2.सरीफो पत्नी गफूर 3.शेरू पुत्र गफूर 4.चांद मोहम्मद पुत्र गफूर 5.बाबू पुत्र पठान 6.अब्दुला पुत्र धुड़ा का.मु. 6/1सतार खां पुत्र अब्दुला 6/2युसुफ खां पुत्र अब्दुला 6/3मांगली पुत्री अब्दुला 7कुष्टा पुत्र धुड़ा 8.रमजान पुत्र धुड़ा 9.बागा पुत्र धुड़ा जातियान कोटवाल निवासीयान रेल्वे कुआ नम्बर 03 बाड़मेर तहसील व जिला बाड़मेर 10.तहसीलदार बाड़मेर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 61/2016 बअनवान सदाम बनाम चांद मोहम्मद निर्णय दिनांक 23.05.2016 के विरूद्व पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री राणाराम गौड़ अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री सुनिल के मेराजा रेस्पोडेंट संख्या 04 की ओर से।
3. वकील श्री करनाराम चौधरी रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03, 6/1, 6/2 व 07 से 09 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 20.02.2020

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया। वादी के पिता सदीक एवं उतरदातागण प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी का खेत खसरा संख्या 375 रकबा 322.12 बीघा मौजा विशाला आगोर में आया हुआ है उपरोक्त खेत में वादी के पिता एवं उतरदाता संख्या 2 से 6 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा खातेदारी में दर्ज है जिसमें से 1/12 हिस्सा वादी के पिता एवं 1/12 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 2 से 4 का एवं इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 5 का 1/12 हिस्सा विधिनुसार बनता है। वादी के पिता सदीक का देहान्त हो गया और देहान्त होने के पूर्व वादी के पिता के कोई जांयदा संतान न होने से वादी को सामाजिक रिति रिवाज अनुसार एवं अपने गोद लिया एवं इस गोदनामा की लिखापढी दिनांक 18.01.2011 को कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक भी कराया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद दर्ज कर जरिये नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया जाकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

दिनांक 23.05.2016 को पेशी निश्चित की गई। इस दरम्यान राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार प्रारम्भ होने के कारण उक्त पत्रावली कैम्प कोर्ट विशाला आगोर में रखी गई जहां पर वादी को सुने बिना ही एकतरफा रूप से प्रतिवादीगण की तामील होने से पूर्व ही काल्पनिक आधारों पर वाद को खारिज कर दिया जिसकी सूचना न तो अपीलकर्ता को दी गई और न ही अपीलकर्ता के अधिवक्ता को दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की मंशा के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया गया है जो काबिल निरस्त योग्य है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। वादी के पिता सदीक का देहान्त हो गया और देहान्त होने के पूर्व वादी के पिता के कोई जांयदा संतान न होने से वादी को सामाजिक रिति रिवाज अनुसार एवं अपने गोद लिया एवं इस गोदनामा की लिखापढी दिनांक 18.01.2011 को कर नोटेरी पब्लिक से तस्दीक भी कराया था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोदनामे पर निर्णय गुणावगुण पर पारित नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मृत्यु प्रमाण–पत्र के अभाव में खारिज किया गया लेकिन अब संलग्न कर दिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद दर्ज कर जरिये नोटिस प्रतिवादीगण को तलब किया जाकर दिनांक 23.05.2016 को पेशी निश्चित की गई। इस दरम्यान राज्य सरकार के निर्देशानुसार राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार प्रारम्भ होने के कारण उक्त पत्रावली कैम्प कोर्ट विशाला आगोर में रखी गई जहां पर वादी को सुने बिना ही एकतरफा रूप से प्रतिवादीगण की तामील होने से पूर्व ही काल्पनिक आधारों पर वाद को खारिज कर दिया जिसकी सूचना न तो अपीलकर्ता को दी गई और न ही अपीलकर्ता के अधिवक्ता को दी गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मनमाना निर्णय पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने विधि की मंशा के विरूद्ध जाकर निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 04 ने बहस करते हुए बताया कि गोदनामे का निर्णय करना राजस्व लोक अदालत के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 से 03, 6/1, 6/2 व 07 से 09 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ यायालय द्वारा निर्णय विधि के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। नामांतकरण संख्या 578 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार वादग्रस्त आराजी का राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि0 बाड़मेर सोनड़ी लिग्नाईट परियोजना सहखातेदार रूप में भी दर्ज है लेकिन अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में हस्तगत वाद पेश करते वक्त पक्षकार रूप में संयोजन नहीं किया गया। मुस्लिम विधि में गोदनामे का प्रावधान नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

सर्वप्रथम धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर निर्णय करना उचित होगा। वकील अपीलांट ने धारा 5 लिमिटेशन के प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलाधीन कैम्प कोर्ट में पारित किया गया। अपीलाधीन निर्णय एकतरफा पारित किया गया। उक्त अभियान 15 जुलाई 2016 को खत्म होने के पश्चात वादी के अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में उक्त प्रकरण के संबंध में जानकारी चाही गई परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र इतना ही कहा गया कि आपका दावा खारिज कर दिया है लेकिन निर्णय अभी लिखा जाना शेष है निर्णय लिखित ही आपको सूचना कर दी जावेगी जिस पर वादी के अधिवक्ता द्वारा निर्णय की प्रतिलिपि लेने हेतु दिनांक 08.08.2016 को प्रतिलिपि फार्म अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया जो नकल दिनांक 04.04.2017 को प्राप्त हुई तथा वास्तविक ज्ञान की तारीख से अपील अन्दर मियाद पेश की गई है अपील को पेश करने में हुई देरी सद्भाविक है। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

वकील रेस्पोडेंट ने धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस करते हुए बताया कि अपीलांट वकील द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी सदभाविक नहीं है। देरी का कोई संतोषप्रद कारण नहीं बताया गया है। अतः अपीलांट की अपील को मियाद बाहर होने से इसी स्टेज पर खारिज फरमाया जावे।

उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं की धारा 05 लिमिटेशन प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अपीलांट को उसकी अपील गुणावगुण पर निपटाने का मौका दिया जाना न्यायोचित है। अपीलांट द्वारा सुदीर्घ अवधि पश्चात अपील प्रस्तुत करने में उसकी ओर से जानबूझकर देरी करने का कोई कारण भी स्पष्ट नहीं हुआ है। लिहाजा अपील प्रस्तुति के विलम्ब को

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner

वकील अपीलांट के कथन पर विश्वास करते हुए सद्भाविक मानकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय अपीलांट/वादी की उपस्थिति में पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एवं न्यायालय हाजा द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अपीलांट द्वारा जिस गोदनामे को आधार पर हस्तगत वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया वह रजिस्टर्ड नहीं है तथा मुस्लिम विधि में गोदनामे का प्रावधान नहीं है। मुस्लिम विधि में गोदनामे का प्रावधान नहीं होने से व नामांतकरण संख्या 578 दिनांक 22.02.2012 के अनुसार वादग्रस्त आराजी का राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लि0 बाड़मेर सोनड़ी लिग्नाईट परियोजना मूल खसरा संख्या 375 में सहखातेदार रूप में भी दर्ज है। अपीलांट/वादी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलाधीन वाद पेश करते वक्त आवश्यक एवं हितबद्ध पक्षकारों का संयोजन नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत पारित किया गया है। <u>अपीलांट येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं।</u> अपीलांटगण के इस अनावश्यक आपत्तिपूर्ण रवैये का कोई अंत भी नजर नहीं आता है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी भी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। लिहाजा अपील अपीलांट खारिज करने योग्य है।

अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बाड़मेर के राजस्व वाद संख्या 61/2016 बअनवान सदाम बनाम चांद मोहम्मद निर्णय दिनांक 23.05.2016 को यथावत रखा जाता है।

20/2/20
(नाथूसिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 20.02.2020 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

20/2/20
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

Scanned by CamScanner